



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. आनन्द पाटील
कुलसचिव
Prof. Anand Patil
Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 56/2013/रा.से.यो./56/01
दिनांक : 12.08.2024

परिपत्र

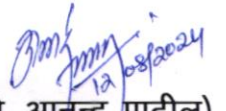
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से No. 5-54/2022-PN-II दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं पर्यावरण क्लब के संयुक्त तत्वावधान में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान आरंभ किया जाना है। इस अभियान में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को ₹ 1000 प्रति पेड़ की दर से पेड़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान में सहभागी होने वाले सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी दिनांक 19 अगस्त 2014 तक डॉ. बालाजी चिरडे, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना को ईमेल (nssmgahv@hindivishwa.ac.in) के माध्यम से स्वेच्छा से सहमति दे सकते हैं। सहभागी होने के लिए उक्तानुसार सहमति देना आवश्यक होगा।

अस्थायी रूप से तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी भी इस अभियान में सहभागी हो सकते हैं।

नोट :

1. ₹ 1000/- प्रति पेड़ में 6 से 7 फीट का पेड़, उसे लगाने योग्य गड्ढा तथा कर्मियों की माताओं का नाम अंकित करने हेतु तख्ती सम्मिलित है।
2. सभी कर्मचारी अपनी स्वेच्छानुसार तथा परिसर विकास के साथ परामर्श कर पेड़ लगाने हेतु स्थान का निर्धारण कर सकते हैं।
3. कर्मियों द्वारा लगाए गए पेड़ की देखभाल, उन्हें सींचने आदि का दायित्व कर्मियों का ही होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।


(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी ।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

- | | |
|---|--|
| 1. कुलपति कार्यालय | 4. परीक्षा नियंत्रक |
| 2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय तथा क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक एवं प्रभारी | 5. पुस्तकालयाध्यक्ष |
| 3. वित्त अधिकारी | 6. प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) |
| | 7. संबंधित पत्रावली |